

क्रियान्वयन हेतु दिशा—निर्देश

कार्यक्रम का नाम— Untied Fund for Sub Divisional Hospital.

बजट / एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) — Untied Fund for Sub Divisional Hospital.

बजट क्रम संख्या / एफ.एम.आर. कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) B 2.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमंडलीय अस्पताल के रख—रखाव एवं जरूरत के अनुसार आवश्यक कार्य हेतु Untied Fund दिया जाता है।

प्रति अनुमंडलीय अस्पताल के लिए वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित ईकाई राशि वर्ष 2011-12 में उपयोग की गई राशि के आधार पर प्रदान की जा रही है।

ईकाई राशि:

- @ Rs. 50,000 प्रति अनुमंडलीय अस्पताल प्रति वर्ष जिसका खर्च वर्ष 2011-2012 में 80 प्रतिशत से ज्यादा था। (अररिया, बांका, भागलपुर, भोजपुर, जमुई, जहानाबाद, शेखपुरा, शिवहर, मुंगेर, पश्चिमी—चम्पारण, गया, गोपालगंज, पुर्णीया)
- @ Rs. 25000 प्रति अनुमंडल अस्पताल प्रति वर्ष जिसका खर्च वर्ष 2011-12 में 40 से 60 प्रतिशत तक था। (बक्सर)
- @ Rs. 20000 प्रति अनुमंडल अस्पताल प्रति वर्ष जिसका खर्च वर्ष 2011-12 में 20 से 40 प्रतिशत तक था। (पटना, रोहतास, समसतीपुर)
- @ Rs. 12500 प्रति अनुमंडल अस्पताल प्रति वर्ष जिसका खर्च वर्ष 2011-12 में 20 प्रतिशत से कम था। (दरभंगा, पुर्वी—चम्पारण, कैमुर, कटिहार, खगड़िया, मधुबनी, नालन्दा, सहरसा, सारण, सुपौल, वैशाली)

जिला स्वास्थ्य समिति इस बात के लिए स्वतंत्र है कि जिले अन्तर्गत जिस अनुमंडलीय अस्पताल द्वारा वर्ष 2011-12 में राशि का पुर्ण उपयोग किया है उस अनुमंडलीय अस्पताल को व्यय के आधार पर अधिक राशि आवंटित कर सकती है। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रैषित करने के आधार पर जिले अक्टुबर, 2012 माह अनुमंडलीय अस्पतालों के लिए इस मद के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि की मांग कर सकती है।

वित्तीय दिशा—निर्देश

उक्त राशि निम्नांकित कार्यों में खर्च किये जा सकते हैं:-

- 1 अनुमंडलीय अस्पताल के छोटे परिवर्तन यथा पर्दा लगाने में नल की मरम्मती, वल्ब लगाने में एवं स्थानीय स्तर पर छोटी मरम्मती।
- 2 रोगी जाँच टेबुल, डिलीवरी टेबुल, डी.पी. उपकरण, हीमोग्लोबीन मीटर, कॉपर-टी लगाने वाले किट, उपकरण ट्रे, बच्चा ट्रे, भार स्केल मां एवं नवजात शिशु हेतु, प्लास्टिक/रबर सीट, ड्रेसिंग सीजर, स्टेथोस्कोप, बाल्टी, एटेंडेन्स स्टूल, मेकिंग टोस सीट।
- 3 सप्लाई पानी की व्यवस्था हेतु।
- 4 बिजली की व्यवस्था हेतु।
- 5 सफाई की व्यवस्था हेतु, विशेषकर बच्चे के जन्मोपरान्त।
- 6 आपातस्थिति में उचित रेफरल परिवहन में।
- 7 ब्लीचिंग पाउडर एवं संक्रमणनाशी चीजों की खरीद पर।
- 8 अस्पताल में जलजमाव के रोकथाम हेतु तथा साफ—सफाई करने में जिससे उत्पन्न बीमारी को रोका जा सके।



(Signature)

9 Soak Pits के मरम्मती अथवा चालू कराने में ।

उपर्युक्त बिन्दु मात्र संदर्भ के लिए है। इसके अतिरिक्त अस्पताल की रोगी कल्याण समिति आवश्यकतानुसार आवश्यक सामग्री का क्रय/रिपेयर पर इस राशि का उपयोग करने के लिए सक्षम है।

नोट:- अस्पताल की रोगी कल्याण समिति एवं भंडारपाल की यह जवाबदेही होगी की इस मद से क्रय/रिपेयर किये जाने वाली सामग्री को खरीदने/रिपेयर से पुर्व यह प्रमाणित करेंगे कि उक्त सामग्री का क्रय पुर्व में किसी मद/श्रोत से नहीं किया गया है अथवा उक्त उपलब्ध सामग्री तत्काल में उपयोग लायक नहीं है। इससे सामग्रियों के व्यर्थ की क्रय/रिपेयर में राशि की उपयोगिता से बचा जा सकता है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं- तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) NA

(ख) NA

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम— श्री रंजीत समैयार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर— 09470003025

skumar

Ajit

Q